अध्याय 4- वित्त, लेखा संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11. (1) राज्य सरकार विधान सभा द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितना राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि के उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा।

लेखे और संपरीक्षा

12. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

14. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

Chapter IV - Finance, Accounts and audit

Grants by the State Government

11. (1) The Government shall, after due appropriation made by Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it think fit for performing the functions under this act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub section (1)

Accounts and audit

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and perpare an annual statement of accounts in such from as may be prescribed by the State Governement.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General of Chhattisgarh at such intervals as may be specified by hima nd any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

Anual Report

13. The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year, as may be prescribed its annual report, giving a full accounts of its activities during the previus financial year and forward a copy there of the State Government.

Annual report and audit report to be laid before the Lagislative Assembly-

14. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reason for the non-acceptance, if any of any such adivce, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before the legislative Assembly.